


तारीख हुक्म	दिमांशु बनाम दिवाकर को हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दारा शु.न. - 99/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
14.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वास्ते बहस दरखास्त आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पत्रावली दिनांक 21.11.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
21.11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वास्ते बहस दरखास्त आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
12.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरान् 838, 839 व 840 कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित चाही गई उद्घोषणा इस न्यायालय में विचाराधीन अन्य वाद पत्र बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी डालूराम बनाम दिवाकर वगैरे मुकदमा संख्या 11/2019 से सम्बन्धित मूख कदम में अनुकोष दिया जाकर निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस वादपत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

प
घम
7
प
ता)